प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.09.2024

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 13 मोबाइल फोन व 01 बैग बरामद।

दिनांक 17.09.2024 को थाना खोड़ा पर वादी श्री वीरेन्द्र रस्तोगी पुत्र स्व0 राम भरोसे लाल निवासी प्रेम विहार खोड़ा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि जब में ड्यूटी के लिये मेक्स हॉस्पिटल जा रहा था तभी इस्वार पुस्ते पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। तत्काल थाना खोड़ा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर मोबाइल फोन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त चन्द्र प्रकाश पुत्र सेतपाल निवासी नियर यादव चौक ट्रांसफार्मर के पास आदर्श नगर खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद मूलपता ग्राम बजेडा थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 13 मोबाइल फोन, 01 काले रंग का बैग व प्रपत्र बरामद हुए। अभियुक्त उपोरक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेंरे से प्राप्त 13 मोबाइल फोन चोरी के ही है। जिनको इन्दिरापुरम व खोड़ा क्षेत्र से अलग अलग जगह से चोरी किये है। चोरी किये गये मोबाइल फोन को रास्ते में चलते फिरते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दामों में बेच देता हूँ। जो पैसे मिलते है। उन्ही से अपना व अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

चन्द्र प्रकाश पुत्र सेतपाल निवासी नियर यादव चौक ट्रान्सफार्मर के पास आदर्श नगर खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद मूलपता ग्राम बजेडा थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 23 बर्ष ।

बरामदगी का विवरणः

- कब्जे से चोरी के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 13 मोबाइल फोन, 01 काले रंग का बैग व प्रपत्र बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोड़ा पर चोरी का 01 अभियोग व कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 बैटरी बरामद।

दिनांक 16.09.2024 को वादी श्री वैभव कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी गाँव मेवला भट्टी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी पर रात्रि में घर का ताला तोडकर 02 बैटरी चोरी कर ले जाने सम्बन्ध में लिखित सूचना दी गयी । जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र बंथला थाना लोनी गाजियाबाद से बैटरी चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1.मनीष पुत्र विनोद निवासी सिद्दकी की बिल्डिंग सफेद गैट के पास डी0एल0एफ0 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद, मूल नि0- गली न0 07 मस्जिद वाली गली पटेल नगर थाना सिविल लाइन सोनीपत हरियाणा 2. प्रिंस उर्फ इमरान पुत्र दिलशाद उर्फ दिल्ला निवासी सिद्दकी की बिल्डिंग सफेद गैट के पास डी0एल0एफ0 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद, मूल नि0- ग्राम जटवाड़ा बाईपास के पास थाना सदर सोनीपत हरियाणा को मय चोरी की 02 बैटरी सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि ये दोनों बैटरियाँ हम दोनों ने कल रात को ही बंथला फ्लाईओवर के पास से एक बंद पड़े मकान से चोरी की थी और यहाँ नहर के किनारे झाड़ियों में छुपा दी थी । हम इन बैट्रीरियों को बेचने के लिए लेकर जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1.मनीष पुत्र विनोद निवासी सिद्दकी की बिल्डिंग सफेद गैट के पास डी0एल0एफ0 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद , मूल नि0- गली न0 07 मस्जिद वाली गली पटेल नगर थाना सिविल लाइन सोनीपत हरियाणा, उम्र करीब 19 वर्ष

2.प्रिंस उर्फ इमरान पुत्र दिलशाद उर्फ दिल्ला निवासी सिद्दकी की बिल्डिंग सफेद गैट के पास डी0एल0एफ0 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद, मूल नि0- ग्राम जटवाड़ा बाईपास के पास थाना सदर सोनीपत हरियाणा, उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त के अन्य आपराधिक की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 02 बैटरी ALTIMA INVERTO RED बरामद ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अपने मालिक के 10 लाख रुपये चोरी करके भागने वाले ड्राइवर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये रुपये में से 08 लाख रुपये बरामद।

दिनांक 08.09.2024 को वादिया निवासी सेक्टर 62 नोएडा द्वारा एक लिखित तहरीर प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिनांक 04.08.2024 को उनके ड्राइवर द्वारा उन्हे इंदिरापुरम में उनके ब्यूटीशयन के यहां गाडी से उतारा गया तथा इंदिरापुरम से वादिया को उतराते ही ड्राइवर गाडी मे रखा एक बैग जिसमे करीब 10 लाख रुपये व ज्वैलरी थी लेकर भाग गया है। प्रकरण में तत्काल थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकऱण के सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले ड्राइवर/अभियुक्त आजाद पुत्र मुन्ने खां हाल निवासी नजदीक बाबा मार्केट ग्राम भंगेल बेगमपुर सै0110 नोएडा गौतमबुद्ध नगर स्थायी पता गांव रूद्रपुर थाना कोतवाली हाथरस जिला हाथरस उम्र 37 वर्ष को दिनांक 16.09.2024 को बुद्द चौक,वसुंधऱा के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त आजाद उपरोक्त के कब्जे से चोरी किये गये 10 लाख रुपये नगद में से 08 लाख रुपये एवं मुकदमा उपरोक्त की वादिया का आधार कार्ड बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने मालिक एस.क्यू अहमद निवासी सेक्टर 62 नोएडा के यहां विगत 07 वर्ष से ड्राइवरी करता था, दिनांक 04.08.2024 को गाडी मे एक बैग रखा था जिसमे नोटो की गड्डी रखी थी जिसे देखकर मेरे मन मे लालच और बेइमानी आ गया जिसे मैं लेकर भाग गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आजाद पुत्र मुन्ने खां हाल निवासी नजदीक बाबा मार्केट ग्राम भंगेल बेगमपुर सै0 110 नोएडा गौतमबुद्ध नगर स्थायी पता गांव रूद्रपुर थाना कोतवाली हाथरस जिला हाथरस उम्र 37 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कुल 08 लाख रुपये

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी करने के उपकरण हथौडी, प्लास, पेचकस, नट खोलने की चाबी व मोटरसाइकिल खोलने की 02 चाबी बरामद।

दिनांक 16.09.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र हल्का प्रथम के जंगल ग्राम पट्टी से अभियुक्त सारिक उर्फ लीली पुत्र हनीफ निवासी मोती कालौनी बु0शहर रोड कमेले वाली गली थाना कोतवाली नगर हापुड जनपद हापुड मूल पता- ग्राम उल्धन थाना खरखौंदा मेरठ को चोरी की योजना बनाते समय मय चोरी करने के उपकरण हथौडी, प्लास, पेचकस, नट खोलने की चाबी व मोटरसाइकिल खोलने की 02 चाबी सहित गिरफ्तार किया

गया , 01 अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि हम लोग काफी दिनों से गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में चोरी किया करते थे। आज भी हमारी योजना ग्राम पट्टी के जंगल से चोरी करने की थी कि आपने मुझे चोरी करने के उपकरण सहित पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सारिक उर्फ लीली पुत्र हनीफ निवासी मोती कालौनी बु0शहर रोड कमेले वाली गली थाना कोतवाली नगर हापुड जनपद हापुड मूल पता- ग्राम उल्धन थाना खरखौंदा मेरठ, उम्र 22 वर्ष

फरार अभियुक्त

जुबैर उर्फ फिरोज निवासी पुरानी चुंगी के पास हापुड नगर जिला हापुड़

बरामदगी का विवरण

हथौडी, प्लास, पेचकस, नट खोलने की चाबी व मोटरसाइकिल खोलने की 02 चाबी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त सारिक उर्फ लीली के विरुद्ध थाना भोजपुर पर 01 अभियोग चोरी की योजना बनाने में तथा जनपद हापुड में 07 अभियोग चोरी, आबकारी अधिनियम व अवैध असलहा संबंधी व जनपद मेरठ में 03 अभियोग चोरी के पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री इमरान पुत्र कदीर ग्राम ढवारसी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद ने उपस्थित थाना आकर तहरीर दी कि दिनांक 23.08.2024 समय करीब शाम 7.30 को मेरा छोटा भाई गुफरान अपने घर के दरवाजे पर चारपाई पर बैठा हुआ जब ही गाँव के रहने वाले सोएब, आरिस उर्फ गोलू पुत्र जिकरया, सुहैल पूत्र याहिया, फिरोज पुत्र शहीद, दानिश पुत्र रियाज , जुबैर पुत्र इरफान निवासी गण ढवारसी थाना मसूरी गाजियाबाद ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई गुफरान को लाठी डन्डो से पीट दिया जिससे गुफरान को गम्भीर चोट आयी है। उक्त घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर अभियोग पजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात थाना मसूरी पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 25.08.2024 को अभियुक्त जुबैर पुत्र इरफान निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा कल दिनांक 16.09.2024 को अभियुक्त सोएब पुत्र जिकरया निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व शेष अभियुक्तो के विरूध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

सोएब पुत्र जिकरया निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के सम्बध में अभियुक्त सोएब के विरूद्व थाना मसूरी पर 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मोबाइल टॉवरों से आरआरयू यूनिट व अन्य सामान चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 रेडियो रिसीवर यूनिट टॉवर बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 17.09.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मोबाइल टॉवरों से आरआरयू यूनिट व अन्य सामान चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.सलमान पुत्र मोहम्मद महबूब निवासी हाजीपुर बेहटा बुध बाजार गली नं0 10 थाना लोनी बार्डर उम्र 24 वर्ष, 2.हातिम पुत्र मुस्ताक निवासी हयात मस्जिद के पास अजाद इन्कलेव पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को हुण्डई कट शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से टावरों से चोरी किया हुआ 02 रेडियो रिसीवर यूनिट टावर बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर आरआरयू (S)CN38529008 के सबंध में बताया कि हम दोनों ने मिलकर 20 दिन पहले नोएडा से एक मोबाइल टॉवर से चुरायी थी तथा दूसरी आरआरयू के सबंध में बताया कि 03 महीने पहले एस एम वर्ल्ड शालीमार गार्डन गाजियाबाद के पास से चुरायी थी इसके साथ हमने कुछ और सामान भी चुराया था जो हम दोनो ने दिल्ली मे जाकर बेच दिया था और बताया कि हम दोनो मिलकर मोबाइल टॉवरो से आर आर यू व बैटरी व अन्य सामान चोरी करते है मोबाइल टॉवरो के उपकरणो की चोरी के माल को बेचने में जो भी मुनाफा होता हैं हम दोनो आपस में बाट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. सलमान पुत्र मोहम्मद महबूब निवासी हाजीपुर बेहटा बुध बाजार गली न0 10 थाना लोनी बार्डर उम्र 24वर्ष
2. हातिम पुत्र मुस्ताक निवासी हयात मस्जिद के पास अजाद इन्कलेव पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी विवरण-

- कब्जे से चोरी के 02 रेडियो रिसीवर यूनिट टॉवर बरामद।

अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त हातिम उपरोक्त पर कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी के 04 अभियोग भिन्न-भिन्न थानों पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 17.09.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त मोहसिन पुत्र मकूसद अहमद निवासी- म0नं0 76 गली नं0-01 रुपनगर बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र-24 वर्ष ने गलत कार्य किया है। तत्काल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट,सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर उक्त

घटना को कारित करने वाला अभियुक्त मोहसिन पुत्र मकूसद अहमद निवासी- म0नं0 76 गली नं0-01 रुपनगर बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र-24 बर्ष को आनन्द विहार बार्डर शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैने दिनांक 10.07.2024 को पीडिता के साथ गलत कृत्य किया है। पीडिता से कहा कि अगर अपने घर बताया तो जान से मारने की धमकी दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अभियुक्त मोसीन पुत्र मकूसद अहमद निवासी- म0नं0 76 गली नं0-01 रुपनगर बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र-24 बर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 15.09.2024 को वादी तुषार ठाकुर पुत्र सतवीर ठाकुर निवासी गरिमा गार्डन साई मंदिर के पास टीला मोड़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई की अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर में से तीन मोबाइल फोन चोरी कर लिये गये है। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त मंजीत पुत्र रमेश निवासी- ग्राम बिलास तहसील बिनावर थाना बिनाबर जनपद बदायूं उम्र 22 वर्ष को डिफैन्स कालोनी कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोबाइल फोन मैने दो दिन पहले गरिमा गार्डन में एक घर से रात में चोरी किये थे। जिन्हे बेचने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

मंजीत पुत्र रमेश निवासी ग्राम बिलास तहसील बिनावर थाना बिनाबर जनपद बदायूं उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:–

- चोरी के 03 मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।